

235

वन विभाग हरियाणा सरकार
कार्यालय : वन मण्डल अधिकारी, रोहतक

पता : झंग कालोनी, नजदीक विजय पार्क, रोहतक, दूरभाष 01262-256940 E-mail dforohetak2@yahoo.com

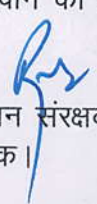
क्रमांक

दिनांक

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के लिए मार्गदर्शी हैंड बुक के चैप्टर -1, पार्ट सी0 के पैरा 1.9 अनुसार डिटेल नोट

मण्डल प्रबन्धक, आई0बी0पी0 कम्पनी (लि0) रिवाड़ी द्वारा एन0एच0 10 कि0मी0 89.475 दायीं तरफ गांव मदीना जिन्दराण तहसील महम में पट्रोल पम्प लगाने का प्रस्ताव वर्ष 2004 में प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 2006 में प्रस्ताव इस कार्यालय द्वारा उच्च अधिकारियों को आवश्यक स्वीकृति जारी करने हेतु भेजा गया उस समय प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा बिना स्वीकृति के रास्ते का निर्माण करके वन संरक्षक अधिनियम 1980 की धारा-2 की अवमानना की गई इसलिये प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के मार्गदर्शी सिद्धान्त हैंडबुक के भाग सी0 चैप्टर-1 के पैरा 1.9 के अन्तर्गत डिटेल नोट सहित भेजा गया था। इसलिये इस प्रस्ताव में वन संरक्षक (केन्द्रीय) चण्डीगढ़ ने उनके पत्र क्रमांक 6332 दिनांक 05.07.2007 द्वारा वायलेशन के विरुद्ध 10 गुणा पैनल सी0ए0 सहित सवैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी। परन्तु प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा समय पर राशि जमा न करवाये जाने के कारण भारत सरकार के पत्र क्रमांक 25-225/2013-ROC दिनांक 25.10.2013 द्वारा रद्द कर दिया गया था। इसके उपरान्त प्रयोक्ता एजैन्सी को हिदायतों अनुसार प्रस्ताव On Line प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। आई0बी0पी0 कम्पनी अब आई0ओ0सी0एल0 कम्पनी में समायोजित हो चुकी है। इसलिये अब यह प्रस्ताव आई0ओ0सी0एल0 कम्पनी द्वारा नई हिदायतों अनुसार On Line करके प्रस्तुत किया गया है। वायलेशन बारे प्रयोक्ता एजैन्सी के विरुद्ध वन अपराध रिपोर्ट नं0 0/21 दिनांक 24.05.2020 चाक करके 66000/-रु0 की राशि वसूल कर ली गई है। वन अपराध रिपोर्ट तथा रसीद मुआवजा की प्रति संलग्न है अब प्रयोक्ता का प्रस्ताव 10 गुणा पैनल सी0ए0 सहित तैयार करके आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भेजा जा रहा है।

अतः इस प्रस्ताव में पैनल सी0ए0 की शर्त सहित वांछित स्वीकृति जारी करवाने का कष्ट करें।


उप वन संरक्षक,
रोहतक।